फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 14.07.2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में जून, 2021 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ जून, 2021 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह./-
(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034467

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव।

<u>भारत सरकार</u>
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का जून, 2021 माह के लिए मासिक सार।

1. संसद में विधायी कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में सरकारी कार्य के संबंध में संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है।

संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने शुक्रवार, 25 जून, 2021 को मानसून सत्र, 2021 को आहूत करने संबंधी नोट संख्या 04/2021 दिनांक 25.6.2021 पर विचार किया था और अनुमोदन दिया था कि संसद के दोनों सदनों को मानसून सत्र, 2021 के लिए सोमवार, 19 जुलाई, 2021 से बुलाया जाए और सरकारी कार्य की आवश्यकता के अधीन रहते हुए सत्र को शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021 को समाप्त किया जाए।

2. <u>संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन</u>

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से मई, 2021 तक लोक सभा के संबंध में कुल 96840 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 56934 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 1657 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 843 आश्वासन लंबित हैं।

जून, 2021 मास के दौरान, 20 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 10 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए।

3. <u>लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई</u>

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

जून, 2021 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
1 जून को लंबित मामले	251	260
जून माह के दौरान प्राप्त उत्तर	99	35
शेष मामले	152	225

4. **<u>परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन</u>**

संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

जून, 2021 के दौरान, सरकार द्वारा पांच संसद सदस्यों को विभिन्न समितियों/बोर्डों/आयोगों पर नामित किया गया है।

उपरेक्त से संबंधित विवरण अनुबंध में दिया गया है।

5. **<u>डिजिटल शासन - ई-ऑफिस का कार्यान्वयन</u>**

इस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दूसरे चरण में चुना गया था। अक्तूबर, 2013 से, भौतिक (फिजिकल) फाइलों के डिजिटलीकरण के पश्चात, मंत्रालय के अनुभगों को ई-ऑफिस के अंतर्गत लाया गया था।

कर्मचारियों की छुट्टी, सेवा, बिल इत्यादि से संबंधित सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे मंत्रालय को और कुशल बनने, कागज का अपेक्षताकृत कम प्रयोग करने, नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों और कार्यालय आदेशों की त्वरित खोज और पुन:प्राप्ति में सहायता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में दर्शाए गए सराहनीय निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया है।

जून, 2021 के दौरान अधिकतर कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया और 2019 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्रस्तुत की गई।

6. **<u>युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना</u>**

जून, 2021 मास के दौरान

(क) राष्ट्रीय युवा संसद स्कीमों में प्रतिभागिता हेतु 405 विद्यालयों के पंजीकरणों की समीक्षा की गई और इनमें से 191 विद्यालयों के पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया।

(ख) केंद्रीय विद्यालयों के लिए 32वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का परिणाम घोषित किया गया। केंद्रीय विद्यालय, एस.ई.सी.एल., नौरोजाबाद, उमरिया, मध्य प्रदेश ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

(ग) मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना की प्रतिभागी संस्थाओं को युवा संसद की बैठकों का आयोजन आभासी माध्यम से करने की अनुमति दी है।

7. **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र - एक एप्लिकेशन**

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और पब्लिक पोर्टल पर अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एक समान प्रारूप में कार्य करती है।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

जून, 2021 माह तक, नेवा के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर 16 राज्यों (17 सदनों) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 9 राज्यों (10 सदनों) द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है जिनमें पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं जिनमें से पहले 7 राज्यों (8 सदनों) को नेवा के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

जून, 2021 मास के दौरान -

(i) परियोजना का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 9.6.2021 को अपराह्न 3.30 बजे श्री ज्ञानेश कुमार, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की क्लाउड अवसंरचना पर एक आभासी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एन.आई.सी., एन.आई.सी.एस.आई. और वित्त मंत्रालय के अधिकारीगण मौजूद थे।

(ii) सिक्किम विधानसभा के लिए 22-25 जून, 2021 के दौरान आभासी माध्यम से एक 4 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान, सिक्किम विधानसभा के अधिकारियों को नेवा सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल्स के बारे में प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उनकी शंकाओं का निवारण करना भी शामिल था।

(iii) नेवा और लोक सभा के वर्तमान सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करने और उनके अंतर का विश्लेषण करने के लिए लोक सभा के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इससे लोक सभा में ई-संसद के कार्यान्वयन के लिए लोक सभा की आवश्यकताओं के अनुसार नेवा सॉफ्टवेयर को अनुकूलित करने में आसानी होगी।

(iv) नेवा के कार्यान्वयन को शुरू कर चुके विभिन्न राज्य विधानमंडलों (उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश) को टेलीफोन और आभासी माध्यम से सक्रिय सहायता प्रदान की गई।

(v) नेवा के कार्यान्वयन हेतु मेघालय विधानसभा द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 25 जून, 2021 को सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में मेघालय विधानसभा के सचिव और अन्य अधिकारियों, एन.आई.सी. और वित्तीय सलाहकार के साथ नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की एक आभासी बैठक आयोजित की गई।

8. सोशल मीडिया

सोशल मीडिया सूचना साझा करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर पंजीकृत अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहल की है।

कुल 1760 ट्वीट्स के साथ, मंत्रालय के ट्विटर हैंडल https://twitter.com/mpa.india के अनुयायियों (फोलोअर्स) की संख्या 4676 और फेसबुक के फोलोअर्स की संख्या 39395 हो गई है।

*****

अनुबंध

जून, 2021 के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों पर नामित किए गए संसद सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	**संसद सदस्य का नाम**	**परामर्शदात्री समिति जिस पर नामित किया गया है**	**अभ्युक्ति**
1	श्रीमती मंगल अंगडि, संसद सदस्य (लोक सभा)	पत्तन, पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
2	श्री नरेश बंसल, संसद सदस्य (राज्य सभा)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	सदस्य
3	श्री महेश जेठमलानी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	विदेश मंत्रालय	सदस्य
4	श्री अब्दुल वहाब, संसद सदस्य (राज्य सभा)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	सदस्य
5	श्री स्वपन दासगुप्ता संसद सदस्य (राज्य सभा)	संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय	सदस्य